उत्तराखण्ड शासन,
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः–382/XXVII(7)/2009
देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– नई अंदान पेंशन योजना के सम्बंध में स्पष्टीकरण।

दिनांक 11–09–2009 तथा दिनांक 09, अक्टूबर 2009 को राज्य सरकार का क्रमश : केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) व एन0 पी0 एस0 ट्रस्ट के साथ नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0) के सम्बंध में समझौता हुआ है। जिसके अन्तर्गत कोषागारों द्वारा आगामी माह से एन0पी0एस0 का विवरण फण्ड मैंनेजर (एस0बी0आई0) को साफ्ट कॉपी में दिया जाना है तथा दिनांक 01 अक्टूबर,2005 से 31 अक्टूबर,2009 तक का लगभग 25000 लोगों के लगभग रू0 100 करोड़ के आंकड़ें एक साथ दिये जाने हैं। शासनादेश सं0– 20/XXVII/(7)/ अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25–10– 2005, शासनादेश सं0–21/XXVII/(7)/ अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25–10–2005, शासनादेश सं0– 132/XXVII/(7)/ 2006 दिनांक 24–07–2006, कार्यालय ज्ञाप सं0– 346/XXVII/(7)/ 2007 दिनांक 21–11–2007के आलोक में विभिन्न विभागों,संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के समाधान के लिये नई पेंशन योजना के कियान्वयन के बिन्दु व प्रकिया के संबंध में श्री राज्यपाल बिन्दुवार निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1 . कोषागार में स्थापित साफ्टवेयर में कोषागारों द्वारा अवशेष देयकों एवं मंहगाई भत्ता अवशेष का पुस्तांकन अभिदाता के पक्ष में नही हो रहा है। इसकी व्यावस्था साफ्टवेयर में की जाय, ताकि कोषागार से सत्प्रतिशत आंकड़े इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किये जा सकें।

2 . कोषागारों द्वारा निदेशालय लेखा एवं हकदारी को सम्बंधित आंकड़ें साफ्ट कापी में उपलब्ध नही किये जा रहे हैं । सम्बंधित आंकड़ें साफ्ट कापी उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया जाय ।

3. साफ्टवेयर में आवश्यक चैक व बैलेन्स लगाये जाने का प्राविधान किया जाय ।

4. टियर–2 की व्यवस्था हेतु डाटाबेस में इसका फिल्ड खोला जाय ।

5. स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु शासनादेश में यह व्यवस्था है कि नई पेंशन योजना का पैसा ऐसी जगह रखा जाये जहॉ 8 प्रतिशत ब्याज मिलता हो परन्तु उन्हें ऐसे बैंक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी बैंक 8प्रतिशत के निकटस्थ ब्याज देने को सहमत हों उनमें पैसा जमा किया जाय ।

c.

6. शासनादेश सं0– 26 /XXVII/(7)/ अं0पें0यो0 / 2008 दिनांक 30 जनवरी 2009 के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि जो कार्मिक दिनांक 01 / 10 / 2005 को या उसके बाद राज्य सरकार की किसी सेवा में नये नियुक्त हुए हैं परन्तु उक्त तिथि के पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में थे और पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से अच्छादित थे, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से ही आच्छादित रहेंगे। जबकि अब तक इनका पैसा अंशदायी पेंशन योजना में जमा हो रहा है। ऐसे कार्मिकों के खाते में जमा धनराशि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारी अपने अभिलेखों से मिलान करके कुल धनराशि का भुगतान करने हेतु कोषाधिकारी को अवगत करायेगा तथा सम्बन्धित कोषागार द्वारा इसका मिलान एवं सत्यापन अपने यहॉ पुस्तांकित लेखे से करके इसे सत्यापित कर निदेशक,लेखा एवं हकदारी को भेजेगा । जिस पर निदेशालय सम्बन्धित कार्मिक के खाते में जमा धनराशि से इसका मिलान करके सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करायेंगे, तदोपरान्त कोषागार समस्त धनराशि का आहरण उसी रीति से करेगें जैसे सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि को आहरित करने की प्रकिया है । क्योंकि उक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं फलस्वरूप नई योजना में जमा धनराशि पर सरकार का अंश एवं ब्याज उन्हें देय नहीं होगा ।

अंशदायीं पेंशन योजना में अभिदाताओं के जमा धनराशि के रखरखाव एवं निवेश हेतु दिनांक 11, सितम्बर, 2009 को सी0 आर0 ए0 (एन0 एस0 डी0 एल0), एवं दिनांक 09, अक्टूबर 2009 को एन0 पी0 एस0 ट्रस्ट से उत्तराखण्ड सरकार का समझौता हो चुका है समझौते के उपरान्त कोषागारों का दायित्व होगा कि सी0 आर0 ए0 में अभिदाताओं का पंजीकरण, लेखा अपलोड किया जाने एवं न्यासी बैंक में अंशदान की धनराशि जमा करने हेतु समझोतों की धाराओं के अनुरूप आव यक कार्यवाही करेंगे। कोषागारों में एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्य हेतु एन0आई0सी0 द्वारा साफ्टवेयर में वांछित संशोधन कर लिए जाये। इसके अतिरिक्त सी0 आर0 ए0 (एन0 एस0 डी0 एल0), को डेटा प्रेषण से पूर्व अभी तक की जमा धनराशि कोषागार में पुस्तांकित आंकड़ों से व्यक्तिवार भली भांति जांच ली जाय। कोषागार यह सुनिश्चित कर लें कि, प्रत्येक कार्मिक की अंशदान की कटौती नियमानुसार हो रही है, एवं उसी खाता संख्या में धनराशि जमा हो रही है, जो निदेशालय लेखा एवं हकदारी द्वारा आबंटित किया गया है।

c.

अंशदान पेंशन योजना से संबंधित उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों एवं कार्यालय ज्ञाप में निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । निदेशालय लेखा एवं हकदारी उक्त बिन्दु–1से4 तक को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तराखण्ड एकक सचिवालय,देहरादून के साथ समन्वय स्थापित कर कियान्वयन करायेगें ।

(राधा रतुड़ी)
सचिव वित्त ।

संख्या 332 (1)/XXVII(7)/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड ।
3. महालेखाकार,ओबराय बिल्डिंग,सहारनपुर रोड़,देहरादून,उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल,माननीय उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड,नई दिल्ली ।
6. सचिव,विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक,उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी,नैनीताल ।
11. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
12. उप निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
13. गार्ड फाईल ।

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

c.